

प्रेषक,

शशि भूषण पाण्डेय,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट),
गाजियाबाद।

सेवा में,


श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा: श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

विषय: भविष्य निधि खाता सं० एल.जे.यू. 21085 से फ्लैट (आवास) क्रय किये जाने हेतु 30,00,000/- (तीस लाख रुपये) स्थायी निष्कासन के सम्बन्ध में :-

महोदय,

अति विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी ने दिनांक 18.03.1996 को न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया तथा अब प्रार्थी को अक्टूबर 2022 में अवकाश ग्रहण करना है। प्रार्थी ने अपनी पूरी सेवा काल में जो भी बचत की है, वह सब प्रार्थी के भविष्य निधि खाते में जमा है। अलग से प्रार्थी के पास कोई जमा धन नहीं है। प्रार्थी को अब अपनी सेवा के अंतिम वर्षों में अपने परिवार के तथा स्वयं के रहने की व्यवस्था के लिये आवास की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी लखनऊ या ग्रेटर नोएडा में आवास लेने के सम्बन्ध में विचार कर रहा है तथा इस सम्बन्ध में जहाँ भी प्रार्थी ने अब तक बात की है, सभी जगह से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि 65-70 लाख रुपये से नीचे की धनराशि में कोई तीन कमरे का आवास नहीं मिल सकेगा। जबकि प्रार्थी को कम से कम तीन कमरे के आवास की आवश्यकता है। प्रार्थी के भविष्य निधि खाते में वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्त में अंकन 46,30,313/- (छियालीस लाख तीस हजार तीन सौ तेरह रुपये) की धनराशि जमा है। इस सम्बन्ध में जानकारी करने पर प्रार्थी को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि माननीय महोदय की कृपा प्राप्त होने पर विशेष परिस्थितियों में माननीय महोदय द्वारा प्रार्थी को जमा धनराशि का दो-तिहाई हिस्से की धनराशि प्रदान की जा सकती है, जिसके आधार पर प्रार्थी को यदि माननीय महोदय की कृपा से 30,00,000/- (तीस लाख रुपये) की धनराशि प्राप्त हो जाये तो शेष धनराशि प्रार्थी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण लेकर पूरा कर सकता है। क्योंकि सम्पूर्ण 65-70 लाख रुपये की धनराशि यदि प्रार्थी बैंक से ऋण प्राप्त करता है तो उसकी किश्त काफी आयेगी, जिसे चुकाने में प्रार्थी को अत्यंत असुविधा होगी।

 (2)

अतः माननीय महोदय से विन्नम निवेदन है कि प्रार्थी के भविष्य निधि खाते से प्रार्थी को 30,00,000/- (तीस लाख रुपये) अन्तिम निष्कासन के रूप में निकालने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

महती कृपा होगी।

भवदीय,
रस. वी. पाण्डेय
01/10/20
(शशि भूषण पाण्डेय)

अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट),
गाजियाबाद।

दिनांक: 01.10.2020

संलग्नक:- 1-भविष्य निधि खाते से अन्तिम निष्कासन के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप।

2-सक्षम अधिकारीगण द्वारा सत्यापित प्रार्थी के जी.पी.एफ. पास बुक के सन 2016-17 से 2019-20 तक के विवरण की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

3-पूर्व में कोई भी स्थायी धनराशि जी.पी.एफ. से आहरण नहीं करने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।

4-माननीय जनपद न्यायाधीश/डी.डी.ओ. द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

5-प्रार्थी का स्वयं का प्रमाण-पत्र।

6-प्रार्थी का बचन-पत्र।

भवदीय,
रस. वी. पाण्डेय
01/10/20
(शशि भूषण पाण्डेय)

अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट),
गाजियाबाद।

दिनांक: 01.10.2020

पत्रांक ...3.113/I..... दिनांक...05/10/2020

अग्रसारित, श्रीमान महानिबन्धक,

माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

जिला जज
District Judge
गाजियाबाद
5/10/2020